न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

पीठासीन अधिकारी : सुमित्रा पारीक, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 97 / 2023 **FSSA**

1. सरकार जरिये डॉ. मदन लाल गूजर खाद्य सुरक्षा अधिकारी
   कार्यालय खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियन्त्रण दौसा।

— आवेदक—

बनाम

1. श्री श्याम सुन्दर खण्डेलवाल पुत्र श्री रामेश्वर प्रसाद
   एफबीओ मैसर्सः—रामेश्वर प्रसाद रामबाबू नया कटला दौसा निवासी अग्रसेन नगर नई मण्डी रोड दौसा

— अभियुक्त—

जुर्म अन्तर्गतएफएसएस धारा 26 की उप धारा 2(**V**)एवं दंडनीय धारा 58
(एफएसएस रूल्स 2006 व 2011)

उपस्थिति : खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित।
: अप्रार्थी अभियुक्त स्वयं उपस्थित।

—: आदेश :— दिनांकः— 15.07.2024

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉ. मदन लाल गूजर ने दिनांक 21.09.2023 को समय 03:39 **PM** पर मैसर्स रामेश्वर प्रसाद रामबाबू नया कटला दौसा जिला दौसा का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय वहां श्री श्याम सुन्दर खण्डेलवाल पुत्र श्री रामेश्वर प्रसाद उपस्थित मिला, जिसको अपना परिचय दिया तथा परिचय पूछने पर श्याम सुन्दर खण्डेलवाल ने स्वयं को मैसर्स रामेश्वर प्रसाद रामबाबू नया कटला दौसा जिला दौसा का मालिक होना बताया तथा खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा बि क्री प्रपत्र बताया। श्री श्याम सुन्दर खण्डेलवाल की उपस्थिति में मैसर्स रामेश्वर प्रसाद रामबाबू नया कटला दौसा का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय करने हेतु दुकान में अन्य खाद्य पदार्थो के साथ एक प्लास्टिक के कट्टे में लगभग 19 किलोग्राम धनिया पाउडर खुला(**Coriander Powder Loose**)रखा हुआ पाया गया। जिसका निरीक्षण करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने पर मानक स्तर का न होने का अन्देशा हुआ तो विक्रेता श्री श्याम सुन्दर खण्डेलवाल को नियमानुसार फार्म 5 ए की लिखित सूचना देते हुये विक्रेता व गवाहान के फॉर्म 5 ए पर हस्ताक्षर करवाते हुये खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये तथा फार्म 5 ए की एक प्रति विक्रेता श्री श्याम सुन्दर खण्डेलवाल को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को यह बताया कि यह खाद्य पदार्थ धनिया पाउडर खुला(**Coriander Powder Loose**)वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने प्लास्टिक के कट्टे में रखे लगभग 19 किलोग्राम धनिया पाउडर खुला(**Coriander Powder Loose**) में से 4 साफ व सूखी पोलीथीन में 500—500 ग्रामधनिया पाउडर खुला(**Coriander Powder Loose**) नियमानुसार भरवाकर इलेक्ट्रानिक मशीन से तुलवाकर खरीदा। जिसकी कीमत श्री श्याम सुन्दर खण्डेलवाल को उनके मांगे अनुसार बाजार भाव से 2.0 किलोग्राम धनिया पाउडर खुला(**Coriander Powder Loose**) 280/— रूपये (अक्षरे दो सौ अस्सी रूपये) नगद देकर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता व गवाहान के नियमानुसार हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने क्रय किये गये 2.0 किलोग्राम धनिया पाउडर खुला(**Coriander Powder Loose**)को विक्रेता श्री श्याम सुन्दर खण्डेलवाल एवं गवाहान को दिखाकर चार साफ व सूखे प्लास्टिक के डिब्बों में बराबर—बराबर भरकर प्रत्येक डिब्बे का ढक्कन लगाकर नियमानुसार एयर टाइट बन्द किया तथा नियमानुसार चार नमूना भाग तैयार किये एवं चारो नमूना भागों के लिये चार लेबल नियमानुसार तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिये

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2024.09.06 13:02:07 IST
Reason: SelfAttested
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

गये खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक **AG**–3844 अंकित किया तथा प्रत्येक लेबल पर विक्रेता श्री श्याम सुन्दर खण्डेलवाल तथा गवाहान के हस्ताक्षर नियमानुसार हस्ताक्षर करवाये तथा प्रत्येक नमूना भाग पर लेबलों को गोंद से चिपकाया व चारो नमूना भागों को अलग–अलग एक खाकी कागज मे लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. दौसा की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लीप नम्बर **AG**–3844 को नियमानुसार चारों नमूना भाग पर नीचे से उपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार करवाकर चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे विक्रेता श्री श्याम सुन्दर खण्डेलवाल ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं. 6 की छः प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर पुनः सील चपडी कर नियमानुसार तैयार किया। दो फार्म संख्या 6 की प्रतियां अलग से एक लिफाफे मे बन्द कर चपडी से सील मोहर कर नियमानुसार तैयार किये तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा को नमूने का एक तैयारशुदा भाग व बन्द लिफाफा जमा करवाया शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के डी.ओ. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा को जमा करवाया। डी.ओ. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा ने श्री महादेव प्रसाद सैनी चतुर्थ सैनी कर्मचारी कार्यालय**CM&HO**दौसा को भेजकर दिनांक 22.09.2023 को खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला अलवर को तैयार शुदा नमूना व सम्बन्धित दस्तावेज जमा करवाये। नमूने के शेष दो भाग व चौथा भाग डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा को दिनांक 22.09.2023 को जमा करवाये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को खाद्य विश्लेषक अलवर से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या एल. एस. /1766/एक्ट/2023/1788 दिनांक 03.10.2023 के अनुसार विक्रेता श्री श्याम सुन्दर खण्डेलवाल से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया गया खाद्य पदार्थ धनिया पाउडर खुला**(Coriander Powder Loose)** का नमूना खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 के (विक्रय एवं प्रतिषेध) रेगुलेशन नं. 2.3.14(15) का उल्लंघन करने के कारण कॉन्ट्रावेन(**Contravene**)स्तर का पाया गया है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर न्याय निर्णय आवेदन पत्र खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी अभियुक्त की गई। अप्रार्थी अभियुक्त स्वयं न्यायालय में उपस्थित आया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अप्रार्थी अभियुक्त की बहस सुनी गई।

बहस के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निवेदन किया कि खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एल. एस./1766/एक्ट/2023/1788 दिनांक 03.10.2023 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ धनिया पाउडर खुला**(Coriander Powder Loose)**का नमूनारेगुलेशन नं. 2.3.14(15)**FSS (Prohibition and Restriction on sale) Regulation** 2011 के अनुसार (**Contravene**)स्तर का पाया गया है। कोई भी व्यक्ति अथवा फर्म पैक्ड स्थिति के अलावा मसाले अथवा पाउडर नहीं बेच सकता है। अप्रार्थी अभियुक्तद्वारा उक्त खाद्य पदार्थ धनिया पाउडर खुला**(Coriander Powder Loose)**का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व विनियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2)(**V**) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 58 में निर्धारित है। अतः अप्रार्थी अभियुक्त को अधिक से अधिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2024.09.06 13:42:07 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अधिवक्ता अप्रार्थी अभियुक्त बहस के दौरान निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ धनिया पाउडर खुला(**Coriander Powder Loose**)में किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं की गई है। मेरे द्वारा साबूत धनिये को पिसवाकर ग्राहको की आवश्यकतानुसार धनिया पाउडर खुला(**Coriander Powder Loose**)खुला विक्रय किया जाता है। मुझको यह मालूम नहीं था कि कोई भी व्यक्ति अथवा फर्म पैक्ड स्थिति के अलावा मसाले अथवा पाउडर खुला नहीं बेच सकता है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अनुसार खुले मसाले विक्रय करना वर्जित है। भविष्य में मेरे द्वारा किसी भी तरह के खाद्य पदार्थ का खुले रूप में विक्रय नहीं किया जायेगा। मै. एक छोटा व्यापारी हुं जो छोटी सी दुकान चलाकर अपने परिवार का जीवन–यापन करता हुं। प्रथम बार हुई गलती के लिये मुझ पर कम से कम जुर्माना लगाया जाकर प्रकरण का निस्तारण फरमावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली एवं खाद्य विश्लेषक अलवर से प्राप्त जांच रिपोर्ट का अवलोकन किया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एल. एस./1766/एक्ट/2023/1788 दिनांक 03.10.2023 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ धनिया पाउडर खुला(**Coriander Powder Loose**) का नमूना रेगुलेशन नं. 2.3.14(15) **FSS (Prohibition and Restriction on sale) Regulation** 2011 के अनुसार (**Contravene**)स्तर का पाया गया है। कोई भी व्यक्ति अथवा फर्म पैक्ड स्थिति के अलावा मसाले अथवा पाउडर खुले रूप में नहीं बेच सकता है।अप्रार्थी अभियुक्तद्वारा उक्त खाद्य पदार्थ धनिया पाउडर खुला(**Coriander Powder Loose**)का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2)(**V**) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 58 में निर्धारित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी अभियुक्त द्वाराधनिया पाउडर खुला(**Coriander Powder Loose**)का विक्रय किये जाने पर अपराध कारित होने से अप्रार्थी अभियुक्त श्री श्याम सुन्दर खण्डेलवाल पुत्र श्री रामेश्वर प्रसाद एफ.बी.ओ. मैसर्स रामेश्वर प्रसाद रामबाबू नया कटला दौसा निवासी अग्रसेन नगर नई मण्डी रोड दौसा पर 1,00,000/–(अक्षरे एक लाख रूपये) की शास्ति आरोपित की जाती है। अप्रार्थी अभियुक्त उक्त राशि निर्णय दिनांक 15.07.2024 के एक माह के अन्दर–अन्दर खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत निर्धारित **(Chief Medical & Health Officer Dausa)**के मद 0210–04–800–03–00 में जमा कराकर चालान की प्रति न्यायालय में प्रस्तुत करे ।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 15.07.2024को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुमित्रा पारीक)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

क्रमांक/FSSA/ 2024/ दिनांकः– .07.2024

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशालय (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राज0 जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।
3. श्री श्याम सुन्दर खण्डेलवाल पुत्र श्री रामेश्वर प्रसाद एफबीओ मैसर्सः–रामेश्वर प्रसाद रामबाबू नया कटला दौसा निवासी अग्रसेन नगर नई मण्डी रोड दौसा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2024.09.06 13:02:07 IST
Reason: SelfAttested

(सुमित्रा पारीक)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official